कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीशः शाहदरा
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

<u>परिपत्र</u>

ऐसा देखा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय को प्रेषित किए जाने वाले पत्र अशुद्ध अंग्रेज़ी भाषा में लिखे होते हैं । ऐसे पत्रों में वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी अनेक अशुद्धियां पाई गई हैं । इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारी अपने पत्रों में आधी हिन्दी और आधी अंग्रेज़ी का प्रयोग भी करते हैं ।

इस संदर्भ में यह विदित है कि दिनांक 26.01.2004 से दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000 लागू हो चुका है, जिसमें हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है । राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 5 के अंतर्गत प्रावधान है कि हिन्दी भाषा में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कार्यालय में हिन्दी भाषा में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक तौर पर हिन्दी में ही दिए जाएं ।

समस्त न्यायिक अधिकारियों, अनुभागों के प्रभारी न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), व अनुभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा नियम 1976 (यथा संशोधित) 1987, के नियम 5 में वर्णित उक्त प्रावधान का पूरी तरह से पालन हो।

(ए.एस.जयचंद्रा)
जिला एवं सत्र न्यायालय,जिला शाहदरा,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र की प्रति सूचना एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है:-
संख्या 4628–4636 /हिन्दी/शाहदरा/2018/दिल्ली दिनांक 05/07/18

1. निजी सचिव, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय जिला एंव सत्र न्यायलय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
3. समस्त न्यायिक अधिकारी, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. सुश्री विधि गुप्ता आनन्द, महानगर दंडाधिकारी/नोडल अधिकारी, हिन्दी विभाग, जिला शाहदरा, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय,दिल्ली।
6. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), हिन्दी विभाग, पूर्व एवं उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली
7. समस्त अनुभागों/शाखाओं के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली को अपने अधिनस्थ सभी कर्मचारियों को परिचालित हेतू।
8. वेबसाइट समिति, कड़कड़डूमा न्यायालय/तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
9. संबंधित फाईल ।

गीता मनोचा
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)
हिन्दी विभाग, जिला शाहदरा,
कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।